अध्याय 3

मैन्युअल प्रोसैसिंग के दृष्टिकोण से सैंपलिंग पर आधारित नमूना जांच के परिणाम

स्वचालित यंत्रों द्वारा व्यापार सुगमता की महत्वपूर्ण आवश्यकता, योजना के मुख्य नियमों, प्रक्रियाओं और शर्तों को विधिवत मानने वाली अंतर्निहित नियंत्रण और संतुलन वाली एक प्रणाली होगी। लेखापरीक्षा ने स्वचालित मोड्यूल के साथ योजना की नीति और प्रक्रियाओं के एकीकरण में कुछ कमियों का अवलोकन किया जिसका विवरण अध्याय 2 में है। कई मध्यवर्ती प्रक्रियाएं अभी भी मैन्यूल रूप से नियंत्रित की जा रही थी। इसने आरए और डीसी कार्यालयों द्वारा किये जा रहे मैन्यूल नियंत्रणों की जांच करने के लिए चयनित इकाईयों में नमूना जांच को आवश्यक बना दिया है। नमूना जांच (25 आरए और 7 डीसी कार्यालयों) हेतु चयनित 32 इकाईयां के 95.19 प्रतिशत स्क्रिप्स के धन मूल्य को सम्मिलित करते हुए एमईआईएस/ एसईआईएस के 93.12 प्रतिशत को दर्शाया। याद्रेच्छिक नमूनाकरण के आधार पर इन 32 इकाईयों में 6205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) के एक नमूना का चयन किया गया था। **चूंकि ऑडिट निष्कर्ष परीक्षण जांच पर आधारित होते हैं, इसलिए संभावना है कि भूल और चूक की ऐसी त्रुटियां अन्य मामलों में भी मौजूद हो सकती हैं। इसलिए विभाग बचे हुए सभी संव्यवहारों को इस अध्याय में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों की तर्ज पर जाँच कर सकता है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।**

इस प्रकार नमूना जांच से प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे सारबद्ध किया गया है:

- एमईआईएस से संबंधित परिणाम:
  - मैन्यूल नियंत्रण आवश्यकता वाले अपूर्ण प्रणालीबद्ध नियंत्रण के कारण एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब
  - एमईआईएस मोड्यूल की योजना के नियमों का अपर्याप्त अनुबंधन दर्शाती हुई कमियां
- एसईआईएस से संबंधित परिणाम:
  - गलत वर्गीकरण के कारण अयोग्य सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रोत्साहन;
  - मोड-3 और मोड-4 प्रकार की सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स की गलत अनुमति;
  - गलत स्वयं-उद्घोषणा और चार्टड अकाउंटेंट (सी ए) प्रमाण पत्र के कारण एसईआईएस दावों में त्रुटियां;
  - आरए द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण एसईआईएस प्रोत्साहनों का अधिक जारी करना;

- एसईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष आयातित माल के लिए आयात करों की छुट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की संख्या16 दिनांक 1 अप्रैल 2015) में निर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यातों को प्रभावित करने की शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं थी;
- डीजीएफटी को और आरबीआई को समान सेवाओं की अलग-अलग रूप से उद्घोषणा;
- एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण में एक समान प्रक्रिया का अभाव

➢ नियंत्रण और मूल्यांकन से संबंधित परिणामः

- लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के प्रदर्शन पर व्यवस्थित नियंत्रण के साक्ष्य नहीं मिल सके,
- वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए एफ़टीपी की मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र के निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर चुप थी। लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन डीजीएफटी द्वारा नहीं किया गया था,
- एमईआईएस / एसईआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण प्रणाली तथा डीजीएफटी द्वारा अब तक एमईआईएस / एसईआईएस शिकायतों का कोई भी विलंबन विश्लेषण किया गया, को स्थापित करने के साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाए गये।

विस्तृत लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

एमईआईएस से संबंधित परिणाम

3.1 एमईआईएस स्किप्स को जारी करने में विलंब का विश्लेषण

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के लिए संपूर्ण भारत के एमईआईएस डेटा के विश्लेषण से एमईआईएस लाइसेंस को जारी करने में काफी अधिक विलंब का पता चला जिसका विवरण अध्याय 2 के पैरा 2.1.1 में किया है। विलंब के लिए कारणों का विश्लेषण करने के लिए, चयनित इकाईयों से 926 एमईआईएस फाईलों की नमूना जांच की गई, और परिणाम नीचे सारबद्ध किये गये हैं:

❖ 433 फाईलों में से 380 फाईलें (88 प्रतिशत) में स्क्रिप्स के जारी करने में 10 दिनों से अधिक समय लिया गया जहां पर आरए द्वारा कोई भी त्रुटि पत्र जारी नहीं किये गये थे जबकि स्क्रिप्स तीन दिनों के अंदर ही जारी किये जाने चाहिए थे।

❖ 493 फाईलों में से 337 फाईलों (68 प्रतिशत) में, जहां पर त्रुटि पत्र जारी तो किये गये थे, परन्तु त्रुटि पत्र जारी करने में लिया गया समय तीन दिनों की निर्दिष्ट अवधि से अधिक था।

❖ इसके अतिरिक्त, 493 फाईलों में से 378 फाईलों (77 प्रतिशत) में, निर्यातकों से पूर्ण अनुपालन की पावती के बाद भी स्क्रिप्स जारी करने के लिए तीन दिनों से अधिक समय लिया गया था **(विवरण 13)**।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी से सुनिश्चित किया कि क्या एमईआईएस के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण के लिए आरए स्तर पर कोई भौतिक रिकॉर्ड अपेक्षित थे। डीजीएफटी ने सूचित किया कि यदि निर्यात इडीआई पोर्ट से होता है तो भौतिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 11 सितंबर 2018 को जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, आरए को प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र के आधार पर एमईआईएस आवेदनों को प्रसंस्कृत किया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए फिर भी विभिन्न मामलों को सत्यापित कर रहा था जैसे:

- दस्तावेज की उपलब्धता जैसे पंजीकरण कम सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) और लैंडिंग प्रमाणपत्र,
- लेट कट की सटीकता और मद विवरण सहित वर्गीकरण आदि।

उपरोक्त नियंत्रण जैसे निर्यातित माल का वर्गीकरण, लैडिंग प्रमाणपत्र की उपलब्धता आदि, उचित ढंग से स्क्रिप्स जारी करने के लिए आवश्यक थे। ये नियंत्रण प्रणाली चालित नहीं थे जिसके कारण फिजिकल हस्तक्षेप हुआ और स्क्रिप्सके जारी करने में विलंब हुआ।

डीजीएफटी ने विलंब की कुछ घटनाएं को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2018) कि लगभग 85 प्रतिशत आवेदन स्वचालित रूप से प्रसंस्कृत किये गये थे और विलंब का कारण श्रम बल की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रणाली स्वचालित थी, आरए अपेक्षा से अधिक भूमिका की कल्पना करते हुए भौतिक फाईलों को पूछ सकता था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यद्यपि लाइसेंस को शीघ्रता से जारी करना एक प्राथमिकता था, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना था कि पात्रता उचित हो तथा कोई राजस्व घाटा ना हो। इसलिए, आरए द्वारा किए हए कुछ नियंत्रण न्यायसंगत थे जिसके कारण विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के विचार की प्रशंसा की कि राजस्व हानि की रोकथाम महत्वपूर्ण है। तथापि, **आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था क्योंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है।** ऐसे त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए नियंत्रण क्यों रख रहा था जोकि प्रणाली चालित होने चाहिए थे। **श्रमबल की कमी के साथ-साथ, स्वचालित प्रणाली में विद्धमान त्रुटियां के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ और परिहार्य भौतिक हस्तक्षेप एवं नियंत्रणोंके विवेकाधिकार प्राधिकृत प्राधिकारियों के हाथ में होना योजना के उद्देश्य को विफल बनाता है।**

3.2 एमईआईएस मोड्यूल की योजना के नियमों में अपर्याप्त अनुबंधन को दर्शाती कमियां

चयनित स्क्रिप्स की नमूना जांच के दौरान, स्क्रिप्स की पाई गई अधिक अनुमति की घटनाओं ने दर्शाया कि योजना के नियम एमईआईएस मोड्यूल से पर्याप्त रूप से अनुबंधित नहीं है जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

3.2.1 एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड का दावा करने के लिए शिपिंग बिलों पर आशय की उद्घोषणा

एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड का दावा करने के लिए योग्यता होने के लिए, शिपिंग बिलों पर प्रभावी आशय की उद्घोषणा 1 जून 2015 से अनिवार्य थी। ईडीआई से तैयार किये गये शिपिंग बिलों में भी, निर्यातकों को एमईआईएस के अंतर्गत दावा करने या दावा न करने के मामले में रिवार्ड बॉक्स में 'हाँ' या 'नहीं' का चिन्ह लगाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी पब्लिक नोटिस (पीएन) सं. 40 दिनांक 9 अक्तूबर 2015 और पीएन सं. 47 दिनांक 8 दिसंबर 2015 के अनुसार, ईडीआई शिपिंग बिलों द्वारा 30 सितंबर 2015 से पहले किये गये निर्यात के लिए, यदि निर्यातक रिवार्ड बॉक्स में गलती से 'नहीं' मार्क कर देता है परंतु शिपिंग बिलों में अपनी ईच्छा सकारात्मक दर्शाता है, तो उक्त निर्यातक डीजीएफटी संव्यवहार के लिए अनुमत होगा; निर्यातकों को शिपिंग बिलों में उद्घोषणा के सत्यापन के लिए आरए को ऐसे शिपिंग बिलों की भौतिक निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 इकाईओं (आरए दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत, मुबई, एसईजेड - विसाखापटनम और एसईजेड - फाल्टा) ने 441

शिपिंग बिलों में ₹ 2.73 करोड़ का रिवार्ड अनुमत किया यद्यपि एमईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड दावे के लिए निर्दिष्ट प्रयोजन की उद्घोषणा शिपिंग बिलों में उपलब्ध नहीं थी **(विवरण 14)** आरए, जयपुर ने ब्याज सहित ₹3.88 लाख की वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2018)।

(ख) शिपिंग बिलों के भौतिक सत्यापन के बिना 'सही' मार्क वाले आशय के साथ 167 शिपिंग बिलों सहित आरए कटक, दिल्ली, लुधियाना और पानीपत में ₹ 5.28 करोड़ राशि के रिवार्ड अनुमत किये थे **(विवरण15)**।

आरए दिल्ली ने स्वीकार किया (जनवरी 2019) कि शिपिंग बिल 'नहीं' मार्क वाले आशय के साथ प्रस्तुत किये गये थे और अन्य आरए ने यह सूचित किया कि मामले की जांच करके वसूली की जाएगी ।

(ग) लेखापरीक्षा ने आरए दिल्ली में पाया कि एक शिपिंग बिल से संबंधित एक आवेदन में आशय की उद्घोषणा के कॉलम ऑफिस नोट में उपलब्ध नहीं थे और ₹ 46.94 लाख राशि के एमईआईएस रिवार्ड बिना सत्यापन के अनुमत कर दिए **(विवरण 16)** । आरए दिल्ली ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि उन्होंने फर्म से आशय उद्घोषणा की मांग की थी। अंतिम परिणाम प्रतिक्षित है (मार्च 2020)।

3.2.2 गैर-हस्तशिल्प वस्तुओं पर उच्चतर एमईआईएस लाभ की गलत अनुमति

डीजीएफटी पब्लिक नोटिस सं. 27/2015-20 दिनांक 14 जुलाई 2015 द्वारा ए, बी और सी ग्रुप में निर्दिष्ट देशों के लिए उच्चतर दरों के साथ हस्तशिल्प निर्यात को प्रोत्साहन किया गया था।

आरए मुंबई ने ₹ 9.05 लाख राशि सहित दो या तीन प्रतिशत की दर पर अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान ग्रुप बी और सी देशों से मानव निर्मित फैबरिक की पोशाक सामग्री के निर्यात के लिए एक निर्यातक को रिवार्ड अनुमत किये। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान बी और सी ग्रुप के देश पात्र नहीं थे जबतक कि वे हस्तशिल्प सामान नहीं हो। चूंकि निर्यातक ने माल के साथ-साथ हस्तशिल्प पर निशान लगाया था, सिस्टम ने उच्चतर दरों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातक इकाई हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसीएच) का सदस्य नहीं था, और उसने सिंथेटिक एंड रेयॉन टैक्सटाईल्स

निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईपीसी) से आरसीएमसी प्रस्तुत की थी। एचबीपी के पैरा 2.94 में निर्दिष्ट किया गया है कि निर्यातक को निर्दिष्ट ईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करने के लिए आवेदन में अपने कारोबार की मुख्य धारा घोषित करनी होगी और परिषद से आरसीएमसी प्राप्त करनी होगी जोकि उसके कारोबार की मुख्य धारा के उत्पाद से संबंधित हो। इसलिए, न तो निर्यातक को हस्तशिल्प पर लागू दरें अनुमत करनी चाहिए थी, न ही हस्तशिल्प के अलावा कोई इकाई पात्र थी क्योंकि माल ग्रुप बी और सी देशों को निर्यातित थे। इस प्रकार, अनुमत लाभ अनियमित था और वसूल किया जाना चाहिए था।

इसी प्रकार, आरए कानपुर ने ग्रुप सी देशों से स्टील किचन बर्तन के अयोग्य निर्यात के लिए ₹ 0.47 लाख का रिवार्ड अनुमत किया **(विवरण 17)।**

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए, वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानुसार की जाएगी।

3.2.3 अयोग्य श्रेणियों के एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करना

विदेश व्यापार नीति 2015-20, के पैरा 3.06 के अनुसार, एसईजेड इकाईयों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाईयों से की गई आपूर्ति एमईआईएस दावों के लिए योग्य नहीं है।

नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 8.29 लाख के एमईआईएस स्क्रिप्स की डीटीए इकाई द्वारा एसईजेड इकाईयों को आपूर्तियों पर आरए कोलकाता द्वारा अनुमति दी गई थी **(विवरण 18)।** इस प्रकार, एसईजेड इकाईयों को डीटीए इकाईयों द्वारा इन आपूर्तियों के संदर्भ में एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी किये जाने को न तो सिस्टम द्वारा रोका जा सका, न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्क्रिप्स अयोग्य श्रेणियों को जारी न किये गये हो, के लिए कोई नियंत्रण था। डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानुसार की जाएगी।

3.2.4 एमईआईएस स्क्रिप्स का गलत उपयोग

एफटीपी 2015-20 के पैरा 3.02 (i) के अनुसार, एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स एचबीपी के परिशिष्ट 3ए में सूचीबद्ध

मदों को छोड़कर पूंजीगत माल सहित माल के इनपुट को आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किये जा सकते हैं। परिशिष्ट 3ए के क्र.सं 2, 3 और 4 के अनुसार, आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 8 और 9 के अंतर्गत 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क वाले माल जैसे नारियल, सुपारी, संतरा, नींबू, ताजे अंगूर, सेब और नाशपाती और सभी अन्य फल तथा सभी मसाले एमईआईएस डयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का उपयोग करते हुए आयात के लिए योग्य मद नहीं हैं। एसईजेड इकाई से डीटीए इकाईयों को बिक्री आयात नहीं है और इसलिए डीटीए बिक्री पर लागू सीमा शुल्क एमईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा ने पूर्वोक्त उद्धरत प्रावधानों का उल्लंघन वाले ₹ 6.47 करोड़ राशि के एमईआईएस स्क्रिप्स के गलत उपयोग के 323 मामलों का अवलोकन किया, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

i) लेखापरीक्षा ने एमईआईएस स्क्रिप्स की उपयोगिता के सत्यापन से यह अवलोकन किया कि पूर्वोक्त उद्धरत प्रावधानों के उल्लंघन वाले सात मामलों में ₹ 27.70 लाख सीमा शुल्क राशि हेतु एमईआईएस लाइसेंस के उपयोग द्वारा चेन्नै और तुतीकोरिन समुद्र सीमा शुल्क द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क के टैरिफ दर के साथ आयात मदों का आयात किया गया था ।

11 मामलों में, परिशिष्ट 3ए में निर्दिष्ट मद जैसे मसाले, तेल बीज, मटर हारवेस्टर मशीन और स्टेशनरी डीजल ईंजन, सीमा शुल्क पोर्टन्हावाशेवा से एमईआईएस लाइसेंस का उपयोग करते हुए आयात किये गये थे जो पूर्वोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था। ₹ 33.95 लाख राशि के ड्यूटी क्रेडिट की उपयोगिता सही नहीं थी **(विवरण 19)।**

डीओआर ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि 5 मामलों में ब्याज सहित ₹ 20.20 लाख की वसूली की गई थी और लेखापरीक्षा में बताये गये शेष 13 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। हालांकि, एमईआईएस स्क्रिप्स के गलत उपयोग से बचाने के लिए सिस्टम की वैद्यता के अभाव के विषय पर विभाग का उत्तर मौन है।

ii) एसईजेड-इंदौर में, यह देखा गया था कि एसईजेड इकाईयों से डीटीए इकाईयों की निकासी/बिक्री के समय पर ₹ 5.85 करोड़ **(विवरण 20)** की राशि के सीमा शुल्क के भुगतान हेतु 305 मामलों में एमईआईएस स्क्रिप्स का उपयोग किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (सितंबर 2019) कि विभाग में एसईजेड डिवीजन की सहमति से मामले की जांच की गई थी; क्योंकि इनमें एसईजेड नियमों की व्याख्या शामिल थी तथा अलग-अलग एसईजेड ने डीटीए सेल के लिए एमईआईएस स्क्रिप्स की योग्यता की व्याख्या अलग-अलग दी ।

एसईआईएस से संबंधित परिणाम :

3.3 गलत-वर्गीकरण के कारण अयोग्य सेवाओं को एसईआईएस का प्रोत्साहन

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस)

भारत का 40 प्रतिशत से अधिक सेवाओं का निर्यात आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में है। डीजीएफटी ने स्पष्ट[14] किया (अप्रैल 2018) कि परिशिष्ट 3 डी आईटी/आईटीईएस के रूप में कोई सेवा निर्दिष्ट नहीं करता। आईटी/आईटीईएस प्लेटफार्म द्वारा अधिकतर सेवाएं जैसे कंप्यूटर संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीवीसी (यूनाईटेड नेशंस स्टैस्टिकस डिवीजन का केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण) प्रावधान कोड 841 से 849 के अंतर्गत अन्य डेटाबेस सेवाएं प्रदान की गई। हालांकि ऐसे कोड परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 5 इकाईयों (आरए गोवा, मुंबई, पुणे, एसईजेड - कोच्ची और सीप्ज्-मुंबई) ने 28 दावों में सेवाओं के लिए औसत ₹130.83 करोड़ के गलत प्रोत्साहन अनुमत किये थे जिसके लिए परिशिष्ट 3 डी में सीपीसी कोड निर्दिष्ट नहीं थे।

नीचे तीन उदाहरण दिये गये है:

i) डीसी, सीप्ज् मुंबई ने परिशिष्ट 3 डी में न शामिल तकनीक और विश्लेषण सेवाओं के लिए **मै.ए लिमि.** को ₹41.17 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये।

ii) डीसी एसईजेड कोची ने परिशिष्ट 3 डी में न शामिल अभियांत्रिक सेवाओं, तकनीकी जांच और विश्लेषण और प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए वर्ष 2015-16 के लिए ₹14.12 करोड़ राशि के **मै.बी लिमि.** की पांच इकाईयों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये थे, एसईजेड के निर्दिष्ट अधिकारी के सामने फाईल किये गये सॉफ्टैक्स भी आरबीआई डिस्टिंक्ट कोड के अंतर्गत सेवा के प्रकार को दर्शाते है, कोड 907

[14] वाईड ट्रेड नोटिस सं. 04/2018 दिनांक 25 अप्रेल 2018

सॉफ्टवेयर विकास को दर्शाते है जो सीपीसी 842 के अंतर्गत है पर यह परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थे ।

iii) **मै.सी लिमि.** ने आईटी सक्षम प्लेटफार्म में सॉफ्टवेयर डिलीवरी के रूप में विभिन्न टैस्टिंग सेवाऐं प्रदान की थी, जो सीपीसी कोड 842 के अंतर्गत आती है परन्तु परिशिष्ट 3डी में शामिल नहीं थी और इसलिए ये एसईआईएस के योग्य नहीं थी। यद्यपि, निर्यातक ने सीपीसी कोड 8676-'तकनीकी टैस्टिंग और विश्लेषण सेवाओं के अंतर्गत, सेवाओं का गलत वर्गीकरण किया और क्रमश: वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए कार्यालय डीसी, एसईजेड कोची से ₹ 6.21 करोड़ और ₹ 4.77 करोड़ एसईआईएस का रिवार्ड प्राप्त किया। रिवार्ड की अनुमति अनियमित थी।

3.3.2 अन्य सेवाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ आवेदनों में निर्यातकों ने 4 इकाईयों (आरए बैंगलुरू, कोच्ची एसईजेड, मुंबई और पुणे) में, सेवाओं का गलत वर्गीकरण करके ₹ 41.89 करोड़ राशि **(विवरण 22)** का अधिक रिवार्ड प्राप्त किया यद्यपि प्राप्त की गई वास्तविक सेवाएं परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थी। आरए सीए प्रमाणपत्रों पर निर्भर रहा। अलग-अलग कोड में सेवाओं के विवरण की गलत व्याख्या और सेवाओं के अधिव्यापन ने निर्यातकों को अनायास लाभ भी प्रदान किए जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i) पेटेंट और कॉपीराईट वितरण अधिकार

पेटेंट उपयोग के अधिकार व कॉपीराईट सामान के हेतु रॉयल्टी क्रमश: सीपीसी 8921 और 8923 के अंतर्गत आते है जोकि परिशिष्ट 3डी में निर्दिष्ट नहीं थे और इसलिए प्रोत्साहनों के लिए योग्य नहीं थे। परंतु आरए मुंबई और डीसी, एसईजेड-कोची ने पेटेंट और कॉपीराईट सामान पर रायल्टी अर्जन पर तीन निर्यातकों को ₹ 17.33 करोड़ राशि के स्क्रिप्स अनुमत किये।

ii) मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं

मै.डी लिमि., ने सीपीसी 8432 (परिशिष्ट 3डी में शामिल नहीं) के अंतर्गत आने वाली मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं प्रदान करते हुए 8675 'संबंधित मेडिकल टेक्नीकल सेवाओं' के अंतर्गत उन सेवाओं का गलत वर्गीकरण कर वित्तीय वर्ष 16 के लिए एसईआईएस का दावा किया। डीसी, एसईजेड-कोची ने निर्यातक द्वारा किये गये दावे के रूप में ₹ 19.56 लाख का गलत रिवार्ड अनुमत किया था।

iii) वित्तीय मध्यस्थता और बैंकिंग की सहायक सेवाएं

मै.ई लिमि., ने प्रबंधन परामर्श सेवाओं (सीपीसी 865) और लेखांकन, लेखापरीक्षण और बुक किपिंग सेवा (सीपीसी 862) के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा किया।

डीसी, एसईजेड-कोच्ची ने 22 विभाजित एसईआईएस स्क्रिप्स में निर्यातक को ₹ 16.95 करोड़ के स्क्रिप्स अनुमत किये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सीपीसी 865 और 862 के अंतर्गत दावा की गई सेवाएं वास्तव में सीपीसी[15] के अंतर्गत आने वाली बैंकिग और वित्तीय सेवाओं से संबंधित थे जो कि परिशिष्ट 3 डी में निर्दिष्ट नहीं थी। इस प्रकार,अयोग्य सेवाओं को स्क्रिप्स की अनुमति अनियमित थी।

iv) सौंदर्य देख-भाल उत्पादों की जांच और विश्लेषण सेवाएं

आरए, मुंबई ने संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं (सीपीसी 8675) के अंतर्गत सौंदर्य उत्पादों से संबंधित विपणन और संबंधित सेवाओं (सीपीसी 865) और तकनीकी जांच और मूल्यांकन सेवाओं के अंतर्गत सेवाओं को वर्गीकरण करते हुए वित्तीय वर्ष 16 और वित्तीय वर्ष 17 के दौरान अर्जित एनएफई के सापेक्ष **मै. एफ लिमि.** को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स अनुमत किये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सीपीसी 8675 के साथ कोड किये गये 'संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं' का वर्गीकरण संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्श सेवाओं की अभियांत्रिकी के बारे में था। निर्यातक की सेवाएं सौंदर्य उत्पादों की तकनीकी जांच और मूल्यांकन से संबंधित थी, और इसलिए सीपीसी 8675 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों के लिए ₹ 7.06 करोड़ की सीमा तक स्क्रिप्स की गलत अनुमति दी गई।

v) एयर ट्रांसपोर्ट सेवाओं से असंबंधित सेवाएं

आरए, बैंगलुरू ने परिशिष्ट 3 डी के अंतर्गत र न आने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल (यूएवी) या ड्रोन से संबंधित तकनीकी; संस्थापन और सहायता सेवाएं प्राप्त करने के लिए **मै. जी लिमि.** को ₹ 35.24 लाख के दो एसईआईएस स्क्रिप्स जारी किये और इसलिए ये पात्र नहीं थे।

---

[15] सीपीसी 81-वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं और सहायक सेवाएं इसीलिए; 8111- मौद्रिक मध्यवर्तियों की सेवा, 8132- प्रतिभूति बाजार से संबंधित सेवाएं, 8133- अन्य वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक सेवाएं और 8425- प्रणाली अनुरक्षण सेवाएं और 8439- अन्य डेटा प्रसंस्करण सेवाएं

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि नीति ने प्रोवीजनल सीपीसी कोड में निर्दिष्ट सभी चालन/सेवा समझौते को अनिवार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रोवीजनल सीपीसी को सेवा श्रेणियों के साथ प्रोत्साहनात्मक श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि परिशिष्ट 3 डी में कुछ सेवा श्रेणियां थी, जैसे साऊंड रिकॉर्डिंग और ग्राऊंड हैंडलिंग जिसमें अनुकूल प्रोवीजनल सीपीसी कोड अधिसूचित नहीं था।

डीजीएफटी का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा में इंगित की गई एसईआईएस की गलत अनुमति सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप थी जबकि प्राप्त की गई वास्तविक सेवा परिशिष्ट 3 डी में अधिसूचित नहीं की गई थी।

3.4 अयोग्य सेवाओं (मोड-3 और मोड-4) को एसईआईएस स्क्रिप्स की गलत अनुमति

एसईआईएस स्क्रिप्स अधिसूचित सेवाओं के निर्यातक को अनुमत[16] किये जाएंगे जिसने मोड 1 (किसी अन्य देश को भारत से सेवा की आपूर्ति) और मोड 2 (भारत में अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को भारत से सेवा की आपूर्ति) सेवाओं के अंतर्गत निर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त की और इन सेवाओं के निर्यात से निवल विदेशी विनिमय अर्जित किया हो।

योजना इन सेवा प्रदाताओं जिन्होंने किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति द्वारा (वाणिज्यिक उपस्थिति-मोड 3) या किसी अन्य देश में वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति द्वारा भारत से सेवा की आपूर्ति (वास्तविक व्यक्ति की उपस्थिति-मोड 4) की सेवा उपलब्ध कराते हैं, को रिवार्ड उपलब्ध नहीं करती।

स्वयं उद्घोषणा और सीए प्रमाण पत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड देने की सेवाओं की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थी। परंतु विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन स्वयं-उद्घोषणाओं और सीए प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) और अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने और पृथक करने और ए अयोग्य सेवाओं को रिवार्ड नकारने में विफल रही।

तेरह निर्यातकों के ठेकेदारी समझौतों कार्य आदेशों या चालानों के विवरण की नमूना जांच से, सामान की आपूर्ति, जांच-पडताल, परिवहन, सजावट, संस्थापन और साईट

[16] एफटीपी, 2015-20 के पैराग्राफ 3.08 से 3.12 के संदर्भ में

पर किये गये परियोजना के पर्यवेक्षण की जानकारी मिली। इसमें निर्यातकों के कार्मिकों के बार-बार विदेशी दौरे, उनकी विदेश यात्रा की वसूली, रहन-सहन का व्यय भी जोड़ा गया जिससे यह इंगित हुआ कि कुछ हद तक सेवा की आपूर्ति के स्वरूप जैसे किसी अन्य देश में वास्तविक व्यक्तियों द्वारा सेवाएं मोड 4 आपूर्ति के अंतर्गत आएंगे।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि छ: निर्यातकों ने उनके ग्रुप/संबंधित कंपनियों द्वारा उनके ग्राहकों को सेवा प्रदान की। सभी चालान ऐसी विदेश स्थित कंपनियों और ऐसी ग्रुप कंपनियों (सेवा के मोड 3 स्वरूप) से प्राप्त विदेश विनिमय से तैयार किये गये थे।

यद्यपि आरए के पास ऐसी सूचना थी, उन्होंने किसी भी फाईल में प्राप्त की गई सेवा के स्वरूप को अभिलेखित नहीं किया। सीए प्रमाण-पत्र जिस पर दावा निर्धारित होगा, उसने मोड -3 और मोड-4 सेवा के स्वरूप के शामिल होने पर कोई प्रकाश नहीं डाला। सभी विदेशी विनिमय प्राप्तियां को मोड-1 द्वारा प्राप्त किया गया बताया गया और एसईआईएस लाभ दिये गये।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 4 इकाईयों (आरए कोलकाता, मुंबई, पुणे और सीप्ज-मुंबई) ने 13 सेवा प्रदाताओं को ₹ 57.52 करोड़ का रिवार्ड प्रदान किया जिसमें वर्तमान प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेवाओं **(विवरण 23)** के मोड-3 और मोड-4 स्वरूप शामिल थे।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर निदेशालय ने कुछ विशेष मामलों के लिए वसूली पहले ही आरंभ कर दी है और शेष मामलों के लिए, वसूली कार्रवाई आरए वार नियमानसार की जाएगी।

3.5 गलत स्वयं-उद्घोषण और सीए प्रमाण-पत्र के कारण एसईआईएस दावों में त्रुटियां

एचबीपी वी1 के पैरा 3.04(बी) के अनुसार, प्राप्त की गई योग्य सेवा के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की अनुमति के लिए एक आवेदन डिजीटल हस्ताक्षर के अंतर्गत वार्षिक आधार पर ऑनलाईन फाईल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त पैरा 3.10 के अनुसार, आरए आवेदन की तथा साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट में सूचना की अपेक्षित संवीक्षा के बाद आवेदन को प्रसंस्कृत करेंगें।

इस प्रकार आरए को चार्टर्ड अकाउंटेंटस् द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और इसके परिशिष्ट संवीक्षा पर आधारित स्क्रिप्स अनुमत करने पड़ते हैं। अतिरिक्त दस्तोवेजों की संवीक्षा पर आगे के निर्देशों के अभाव में स्क्रिप्स को अनुमति के लिए आवेदक की स्वयं उद्घोषणा और चार्टर्ड अकाउंटेंटस् प्रमाण-पत्रों पर ही निर्भर रहना होगा।

लेखापरीक्षा ने अग्रलिखित खामियों के कारण ₹ 40.74 करोड़ **(विवरण 24)** राशि के स्क्रिप्स गलत जारी किये गये 62 आवेदनों में सेवाओं पर अनियमित रिवार्ड अनुमति का अवलोकन किया:

3.5.1 योजना के शुरू होने से पहले ही प्राप्त की गई सेवाओं के लिए स्क्रिप्स की अनियमित अनुमति

एफटीपी के पैरा 3.12 के अनुसार, एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड, नीति की अधिसूचना की तिथि से या के बाद किये गये निर्यात/प्राप्त की गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य होंगे।

लेखापरीक्षा द्वारा 24 आवेदनों में 8 इकाईयों द्वारा (आरए अहमदाबाद, चेन्नै, कोयम्बटूर, मुंबई, पूणे, एसईजेड-कंडला, सीप्ज्-मुंबई और एसईजेड-कोची) द्वारा अप्रैल 2015 से पहले प्राप्त की गई सेवाओं के लिए ₹ 26.02 करोड़ की अनियमित अनुमति पाई गई। सीए प्रमाण-पत्र इस त्रुटि को ढूंढने में असफल रहे जिसके आधार पर स्क्रिप्स अनुमत किये गये थे।

डीसी, केएएसईजैड और आरए चेन्नै ने ब्याज सहित ₹ 81.36 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.5.2 गलत निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) मूल्य के कारण अधिक अनुमति

15 आवेदनों में, पांच आरए (अहमदाबाद, चेन्नै, कोच्ची, कोलकाता और जयपुर) ने अग्रलिखित के कारण ₹ 4.31 करोड़ के अधिक रिवार्ड जारी किये थे:

- विदेशी विनिमय पर व्यय सहित एनएफई की गणना में त्रुटियां,
- चालान मूल्य या वास्तविक पावतियों के बीच कम मूल्य का स्वीकार न करना,
- अनुपयुक्त विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफआईआरसी) और
- सेवाओं का गलत विचार

आरए कोची ने एक मामले में ब्याज सहित ₹ 8.31 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.5.3 सरकारी करों के प्रति ऐसी संगत राशि सहित एनएफई पर स्क्रिप्स की गलत अनुमति

डीजीएफटी ने स्पष्ट[17] किया कि संबंधित सरकारों की ओर से उपभोक्ताओं से सेवा प्रदाता द्वारा संग्रहित केंद्रीय/राज्य सरकारों के कर सेवा प्रदाता की आय नहीं है और इस प्रकार ऐसे करों पर निर्यात प्रोत्साहन उपयुक्त नहीं है।

आरए जयपुर, कोच्ची और मुंबई ने आठ आवेदनों में ₹ 2.35 करोड़ राशि के कर पर रिवार्ड गलत से अनुमत किये थे।

आरए कोच्ची ने चार मामलों में ब्याज सहित ₹ 9.90 लाख की वसूली की सूचना दी (सितंबर 2018)।

3.5.4 कर कटौती व्यय को न छोड़ने के कारण स्क्रिप्स की गलत अनुमति

एफटीपी के पैरा 3.08 (डी) के अनुसार, अर्जित निवल विदेशी विनिमय पर अधिसूचित दर पर प्रोत्साहन अनुमत किया गया है, जो कि विदेशी विनिमय के एकल अर्जन से विदेशी विनिमय में कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण को कम करके आंका गया है। विदेशी विनिमय में प्राप्तियां लाभ की अनुमति हेतु बैंक द्वारा जारी किये गये एफआईआरसी से प्रमाणित की गई हैं। जब ऐसी राशि बाहरी देश से देय कर काटने के बाद प्राप्त की जाती है, एफआईआरसी में दिखाई गई निवल राशि रिवार्ड की अनुमति के लिए मानी जाएगी।

आरए, मुंबई और सीप्ज् मुंबई ने बाहरी देशों के कर कटौती के प्रति भुगतान की गई राशि सहित एनएफई पर स्क्रिप्स जारी किये थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ के अधिक रिवार्ड की अनुमति दी गई।

आरए सीप्ज् मुंबई ने ₹ 0.68 लाख की वसूली की सूचना दी (मई 2019)।

3.5.5 गलत विनिमय दरों के अपनाने के कारण स्क्रिप्स की अधिक अनुमति

आवेदन के परिशिष्ट ए, यूएसडी में तिथि वार विदेशी विनिमय अर्जन और यूएसडी के अतिरिक्त प्राप्त लाभ के मामले में, संव्यवहार की तिथि पर उनके समान यूएसडी,

[17] व्यापार नोटिस नंबर11/2015-20 दिनांक 21 जुलाई 2016 द्वारा

सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार विनिमय दर लागू करते हुए संव्यवहार के विवरण प्राप्त करता है।

एसईजेड कांडला में **मै. एच लिमि.** द्वारा फाईल किये गये परिशिष्ट ए की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निर्यातकों ने संव्यवहार की तिथि (चालान तिथि) तक लागू सीमा शुल्क अधिसूचित विनिमय दरों को नहीं अपनाया था जिसके परिणामस्वरूप गलत एनएफई की घोषणा की गई और परिणामत: ₹ 2.53 करोड़ तक अधिक रिवार्ड अनुमत किया गया। एसईजेड कांडला ने ₹ 2.5 करोड़ के अनुप्रयुक्त लाईसेंस को निरस्त करने और ₹ 2.13 लाख की शेष राशि के नकद भुगतान करने के रूप में वसूली की सूचना दी (मई 2019)।

इसी प्रकार, **मै. आई लिमि.** ने संव्यवहार तिथि पर मौजूदा दरों के स्थान पर विदेशी मुद्रा वसूली के समय पर लागू विनिमय दरों को गलत रूप से अपनाया, परिणामस्वरूप आरए सीप्ज्-मुंबई द्वारा ₹ 1.39 लाख की राशि का अधिक रिवार्ड जारी किया गया।

3.5.6 अयोग्य प्रेषण को प्रोत्साहन की गलत अनुमति

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चार आरए (बैंगलुरू, गोवा, जयपुर और कोच्ची) में ग्यारह आवेदनों में अयोग्य प्रेषण जैसे गैर-अधिसूचित सेवाओं और ऐसे मामले जहां ऐसे मुद्रा अर्जन हेतु सेवा की प्रकृति ज्ञात नहीं है, से अर्जन पर ₹ 2.32 करोड़ का रिवार्ड अनुमत किया गया था। एक मामले में, सीए ने फोरैक्स प्राप्तियों को जोकि एसईआईएस रिवार्ड के लिए प्रेषण की योग्यता के लिए आवश्यक थी, के साथ बिल/चालान के सहसंबंध को प्रमाणित नहीं किया था।

उपरोक्त अवलोकन को डीजीएफटी (सितंबर 2019) के ध्यान में लाया गया और डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6 आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण एमईआईएस रिवार्ड का अधिक जारी करना

स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया सिस्टम और मैन्यूल इंटरवेंशन दोनों सहित अर्द्ध-स्वचालित है। नियंत्रणों की सीमा जो कि एसईआईएस के अंतर्गत स्क्रिप्स के जारी करने से पहले आरए द्वारा प्रयोग की जानी आवश्यक थी वह स्पष्टत: निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

34 आवेदनों में, लेखापरीक्षा द्वारा लेट कट की गैर-कटौती, आरसीएमसी/आईइसी के बिना जारी किये गये स्क्रिप्स, भारतीय कंपनियों से प्राप्त की गई सेवाएं, ₹13.02 करोड़ की एनएफई राशि की गलत स्वीकृति **(विवरण 25)** के कारण स्क्रिप्स की गलत अनुमति पाई गई।

कुछ मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

3.6.1 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त एसईआईएस आवेदनों में लेट कट की कटौती न करना

लेखापरीक्षा ने छः इकाईयों/आरए अहमदाबाद, चेन्नै, दिल्ली, मुंबई, एसईजेड-कोची और सीप्ज - मुंबई) में प्रस्तुत किए गए 24 एसईआईएस आवेदनों में लेट कट को लागू न करने का अवलोकन किया, यद्यपि वे निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुई थी। ₹5.49 करोड़ का लेट कट वसूली योग्य था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई की जाएगी।

3.6.2. आरसीएमसी/आईईसी के बिना एसईआईएस स्क्रिप्स को अनियमित रूप से जारी करना

एफटीपी का पैरा 3.08 (एफ) निर्दिष्ट करता है कि सेवाएं; जिनके लिए रिवार्ड ई का दावा किया गया है, प्राप्त करने के समय पर सक्रिय आयात निर्यात कोड (आईईसी) सेवा प्रदाता के पास होगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 2.56 प्रासंगिक निर्यात समितियों से वैध आरसीएमसी की आवश्यकता निर्दिष्ट करता है।

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि आरए दिल्ली ने वैध आरसीएमसी के बिना दो आवेदनों में ₹ 4.07 करोड़ के स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी किये।

(ii) तीन आवेदनों में, आरए कोची और चेन्नै ने सेवाएं प्राप्त करने के समय पर आईईसी के बिना सेवा प्रदाता को ₹ 85.33 लाख राशि के स्क्रिप्स अनियमित रूप से जारी किये।

आरए, दिल्ली और कोची ने नोटिस जारी करने और स्क्रिप्स वापस किये तथा आरए कोची द्वारा ₹ 43.63 लाख की वसूली की भी सूचना दी।

3.6.3. भारतीय कंपनियों से प्राप्त सेवाओं पर एसईआईएस लाभ की गलत अनुमति

परिशिष्ट 3ई में विनिर्दिष्ट समुद्रतटीय परिवहन सेवाओं के मामले में विदेशी यात्री-पोत (या कर्मी दल के साथ समुद्री जहाज के किराय में शामिल सेवाओं के मामले में विदेशी ईकाई से अधिप्राप्त) से सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्रों में प्राप्त की गई सेवाएं विदेशी विनिमय में प्राप्त की गई सेवाएं समझी जाएंगी और विदेशी विनिमय में अर्जित मानी जाएंगी और भारत योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत रिवार्ड जारी करने के लिए योग्य होंगी। तद्नुसार, विदेशी नौ-परिवहन यात्री-पोत को पोर्ट टर्मिनल सेवाएं प्रदान कर रही कोई इकाई रिवार्ड के लिए योग्य है।

लेखापरीक्षा ने आरए मुंबई में अवलोकन किया कि आवेदक **मै. जे लिमि.** ने चार भारतीय कंपनियां/शिपिंग लाईनों से आंशिक रूप से ऐसी सेवाएं प्राप्त की थी। चूंकि सेवा उपभोक्ता भारतीय हैं, विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.5 (i) के अनुसार भारतीय उपभोक्ता से प्राप्त राशि पर कोई लाभ अनुमत नहीं होगा। तद्नुसार, ₹ 175.58 लाख (₹ 35.12 करोड़ का 5 प्रतिशत) के जारी किये गये स्क्रिप्स अनियमित थे, जो कि सेवा प्रदाता से वसूल किये जाने थे।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.4 एनएफई की गलत स्वीकृति पर एसईआईएस रिवार्ड की अनुमति

दो आवेदनों में, आरए, सीप्ज - मुंबई और इंदौर ने 'ऑनलाइन आवेदन' और सीए प्रमाण-पत्रों में एनएफई घोषणाओं में भिन्नता की पुष्टि किए बिना ₹7.96 लाख का अतिरिक्त रिवार्ड प्रदान किया।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.5 क्षेत्राधिकार अनुशासन का न रखा जाना

डीजीएफटी पीएन 30/2015-20 दिनांक 26 अगस्त 2015 और 58/2015-20 दिनांक 10 फरवरी 2017 के साथ पठित एचबीपी के पैरा 3.06 के अंतर्गत एसईजेड/ईओयू में इकाईयों में आईईसी धारक परिशिष्ट 1 ए में दिये गये एसईजेड के संबंधित डीसी को आवेदन करेगा।

आरए, मुंबई ने एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित **मै. के लिमि.** एक मुक्त व्यापार और वेयरहाऊसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) इकाई को ₹ 76.52 लाख के एसईआईएस स्क्रिप्स अनुमत किये थे। इस प्रकार, डीसी,सीप्ज, मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली इकाई के वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किये गये फोरैक्स अर्जन पर रिवार्ड की अनुमति अनियमित थी।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के गलत वितरण पर, निदेशालय ने कुछ मामलों हेतु पहले ही वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी और शेष मामलों हेतु, आरए वार नियमानुसार वसूली कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3.6.6 पोर्ट सेवाओं के अंतर्गत एसईआईएस का अधिक भुगतान

डीजीएफटी ने स्पष्ट[18] किया कि पोर्ट सेवाओं के मामले में एसईआईएस लाभ वास्तविक सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए उनके माध्यम से आसानी से

[18] नीति परिपत्र संख्या 06 दिनांक 22 मई 2018 और 08 दिनांक 21 जून 2018 द्वारा

अर्जन कर रही सेवाओं के संयोजक की अपेक्षा वास्तविक सेवा प्रदाताओं को दिये जायेंगे। सेवाओं के संयोजक (पोर्ट) वृहद रूप से उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए एसएफआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे जिसके लिए विदेशी विनिमय अर्जन (या योजना के अंतर्गत अनुमत किये गये आईएनआर भुगतान) प्राप्त किये हो और उनको इस संबंध में रखे गये हैं।

आारए, मुंबई, ने **मै. एल लिमि.** के मामले में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतटीय परिवहन से जुड़ा था, इसने अंतर्राष्ट्रीय चार्टर से प्राप्त मालभाड़ा और विलंबन प्रभारों पर विदेशी विनिमय अर्जन के लिए रिवार्ड अनुमत किये थे। हालांकि, समुद्रतटीय परिवहन मालभाड़ा राशि में पोर्ट पर लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण प्रभार की टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज (टीएचसी) शामिल होते हैं। इसलिए आईएनआर में वास्तव में मालभाड़ा का भाग उन वास्तविक सेवा प्रदाता को जाता जो टर्मिनल हैंडलिंग सेवाऐं जैसे पोर्ट, लोडिंग और अनलोडिंग एजेसियों, प्रदान करते हैं,

इस प्रकार, इस मामले में शिपिंग लाईनर्स, मालभाड़ा भाग पर लाभ; जो कि वास्तविक सेवा प्रदाताओं को अदा किये गये टीएचसी और भंडारण प्रभारों का दर्शाता है; के दावे के योग्य नहीं हैं। ये भुगतान शिपिंग लाईनर दावे से अलग नहीं किए गये थे चूंकि आवेदक द्वारा आईएनआर में किये गये व्यय के घटाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

इसी प्रकार से, **मै. एम लिमि.** ने वित्तीय वर्ष 16 और 17 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों में विदेशी एयरक्राफ्ट को मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं आपूर्ति की थी। संबंधित सेवा चालानों में 13 से 32.50 प्रतिशत की रेंज में उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रभार दर्शाये गयेजो कि संयोजक द्वारा प्रतिधारित थी। चूंकि, अंतत: ये उद्ग्रहण संयोजक से संबंधित हैं, ऐसे उद्ग्रहण पर आनुपातिक लाभ मै. एम लिमि. को अनुमत नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने सूचित किया (मार्च 2020) कि मुंबई आरए ने मुख्यालय में प्राप्त विशेष डीआरई संदर्भ के आधार पर आवेदनों की जांच करने और संवीक्षा करने के लिए कहा है।

3.7 नीति और अधिसूचना के बीच असंगति

सीबीआईसी ने एफटीपी के पैराग्राफ 3.08 के साथ पठित पैराग्राफ 3.10 में निर्दिष्ट शर्तों के मद्देनजर आरए द्वारा जारी किये गये एसईआईएस स्क्रिप्स के प्रति आयातित माल को आयात ड्यूटी से छूट प्रदान करते हुए अधिसूचना सं. 25/2015-सी.शु. दिनांक 8 अप्रैल 2015 जारी की। ऐसी दो शर्तें हैं:

(1) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात फॉर्मस् (एएनएफ) के परिशिष्ट 3डी में सूचीबद्ध अधिसूचित सेवाओं के निर्यात के प्रति भारत में स्थित सेवा प्रदाता को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किया जाए;

(2) कि अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2015 में दी गई तालिका 2 में विनिर्दिष्ट समुद्रीपत्तन, हवाईजहाज या इंलैंड कंटेनर डिपो या स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों द्वारा या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में आयात और निर्यात किया गया:

इसके बावजूद, आयुक्त सीमा शुल्क अपने क्षेत्राधिकार में किसी अन्य समुद्री पोर्ट, एयरपोर्ट, इंलैंड कंटेनर डिपो से या किसी स्थल सीमा शुल्क स्टेशन से विशेष आदेश या सार्वजनिक अधिसूचना और उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अनुसार, आयात और निर्यात की अनुमति दे सकता है।

i) आरए मुंबई और पूणे ने 16 सेवा आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने सेवाएं जैसे अभियांत्रिकी डिजाईन सेवाएं, विधिक और अटार्नी सेवाएं, प्रबंधन परामर्श, बुक किपिंग, लेखाकरण और लेखा परीक्षण सेवाएं, निर्माण संबंधी सेवाएं; या हॉटल और हॉस्पीटल उद्योग में भारत में विदेशी उपभोक्ताओं को आपूर्त की गई सेवाओं के लिए, एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी किये। ये सेवा निर्यात सीमा शुल्क अधिसूचना की क्र. सं. 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी पोर्ट द्वारा नहीं किये गये थे, परंतु या तो डेटा-लिंक्स या हॉटल और हॉस्पीटल परिसर में उपभोग द्वारा निर्यातक कार्यालयों से प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किये गये थे। आरए कार्यालय में कोई प्रमाण नहीं था कि सेवाएं निर्दिष्ट किसी पोर्ट से निर्यात की गई थी।

ii) आरए, मुंबई ने डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना सं. 7/2015-20 दिनांक 4 मई 2016 द्वारा परिशिष्ट 3ई में अधिसूचित मानी गई निर्यात सेवाओं के लिए दो

आपूर्तिकर्ताओं को भी स्क्रिप्स जारी किये थे। ये सेवाएं मुख्यत: पोर्ट क्षेत्र में समुद्रतटीय परिवहन और सहायता सेवाओं से संबंधित थीं जहां सेवाओं का कोई वास्तविक निर्यात नहीं हुआ था । पोर्ट क्षेत्रों में विदेशी यात्री-पोत से प्राप्त सेवाएं सीमा शुल्क अधिसूचना; जोकि निर्दिष्ट पोर्ट से निर्यात करने पर छूट के लिए योग्य बनाने के लिए परिशिष्ट 3डी में सूचीबद्ध सेवाओं को अनुमत करती है, की शर्तों को पूरा नहीं किया।

इस प्रकार, दिनांक 8 अप्रैल 2015 की अधिसूचना की शर्तें एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। यद्यपि, ऐसी सेवाओं से संबंधित 33 स्क्रिप्स जवाहलाल नेहरू सीमा शुल्क भवन (जेएनसीएच) मुंबई में पंजीकृत किये गये हैं और आयात ड्यूटी के भुगतान के लिए उपयोग किये गये हैं **(विवरण 26)।**

डीओआर ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2019) कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 25/2015 दिनांक 8 अप्रैल 2015 एसईआईएस प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और वे विसंगति समाप्त करने में प्रक्रियारत थे।

3.8 डीजीएफटी और आरबीआई को समान सेवाओं की अलग-अलग उद्घोषणा

लेखापरीक्षा ने डीसी, कोचिन एसईजेड-कोची, सीप्ज -मुंबई और एसईजेड-कांडला में फाईल किये गये तीन आवेदनों का अवलोकन किया कि निर्यातकों ने परिशिष्ट 3डी के अनुसार अभियांत्रिकी सेवाओं (सीपीसी कोड 8672) के रूप में अपनी सेवाओं की घोषणा की। सॉफ्टैक्स रिटर्न[19] द्वारा आरबीआई को फाईल किये गये विदेशी विनिमय अर्जन की उद्घोषणा में समान सेवा को सॉफ्टवेयर विकास और अलग-अलग क्रमश: कोड 907 और 908 के अंतर्गत अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में घोषित किया था। इस प्रकार, एक प्राधिकरण (डीजीएफटी) को, सेवाएं तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाओं/अभियांत्रिकी सेवाओं के रूप में तथा दूसरे प्राधिकरण (आरबीआई) को, यही सेवाएं सॉफ्टवेयर विकास के रूप में वर्गीकृत की गई थी।

एसईजेड इकाईयों के प्रशासक के रूप में डीसी के पास निर्दिष्ट प्राधिकृत संचालनों के लिए अनुमोदन पत्र जारी करने के प्राधिकार हैं। ये संचालन सामान्यत: सॉफ्टैक्स रिटर्न में घोषित किये जाते हैं। डीसी एसईआईएस के अंतर्गत उनके निर्यात के लिए

[19] विदेशी विनिमय प्रबंधन (वस्तु एवं सेवा का निर्यात) विनियम 2000 के विनियम 3 और 6 के अनुसार,

रिवार्ड अनुमत करने के लिए भी प्राधिकृत है। समान निर्यात के लिए समान निर्यातक से सेवाओं की प्रकृति की अलग-अलग घोषणाएं स्क्रिप्स जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा जांची जा सकती थी।

इसके अतिरिक्त, समान सेवा और विक्रेताओं के लिए मौजूद विभिन्न वर्गीकरण कोड समान सेवाओं के लिए अलग-अलग प्राधिकरणों के लिए अलग-अलग कोड विद्धमान हैं।

डीजीएफटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि निदेशालय जीएसटी सेवा लेखांकन कोड (एसएसी) के अनुसार कोड को अधिसूचित करेगा, ताकि वर्ष 2020-21 से फर्म स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों की सेवा श्रेणियों की रिपोर्ट करते समय एक अंतर्निहित नियंत्रण होंगा और प्रक्रियाओं तथा नीति पैराग्राफों के अनुसार उपयुक्त उपाय शामिल किये जाएंगे।

3.9 एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण में एक समान प्रक्रिया का अभाव

एचबीपी की टिप्पणी 3.04 (सी) के अनुसार, "आरए संवीक्षा के बाद ऑनलाईन प्राप्त आवेदन को प्रसंस्कृत करेगा"। यद्यपि, यह अवलोकन किया गया था कि एसईआईएस स्वीकृति से पहले संवीक्षा के भाग के रूप में अपनाये गये नियंत्रण के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आरए या डीसी कार्यालयों से एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी। उदाहरणत:, पांच आरए (मुंबई, कोलकाता, पूणे, अहमदाबाद, कोच्ची) में, आवेदन नमूना चालान, एफआईआरसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रमाण-पत्र आदि के सत्यापन के आधार पर प्रसंस्कृत किये गये थे। दो डीसी कार्यालयों (कोचिन एसईजेड-कोची और सीप्ज-मुंबई) में, एसईआईएस दावे एसईआईएस दावे के सटीकता और ग्राहयता के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के प्रमाण-पत्र पर पूर्णत: निर्भर रहते हुए बिना किसी क्रॉस वेरिफिकेशन के स्वीकृति प्रदान की जा रही थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सीए प्रमाण-पत्र वह दस्तावेज था जिसके आधार पर वर्तमान में दावे प्रसंस्कृत किये जा रहे थे और किसी विशिष्ट मामले के विशेष परिदृश्य के आधार पर जिनमें सेवा का वर्गीकरण सही नहीं था, में आरए द्वारा

अतिरिक्त दस्तावेज की मांग की जा रही थी। यह कहा गया कि ऐसा गलत वर्गीकरण पर या किसी अयोग्य श्रेणी हेतु दावे की अनुमति रोकने के लिए किया जा रहा था। विशेष दिशा-निर्देशों के अभाव में, स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपनाई गई अपेक्षित संवीक्षा के संबंध में आरए द्वारा अलग-अलग पद्धतियां अपनाई जा रही थी।

निगरानी और मूल्यांकन:

3.10 योजना का निगरानी तंत्र

यह अनिवार्य है कि प्रमुख योजना जैसे एमआईएस/एसईआईएस के लिए, निर्धारित निष्पादन मानदंड पर आरए के निष्पादन की आवधिक निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि योजना को डिजाईन के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) द्वारा निरीक्षण/निगरानी तंत्र के विवरण तथा संबंधित फाईलें मांगी गई जो डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के निष्पादन पर प्रणालीबद्ध नियंत्रण के प्रमाण नहीं मिले।

डीजीएफटी ने सूचित किया (मार्च 2020) कि जनवरी 2017 से, एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की जा रही थी और आरएमएस भी पूर्णत: क्रियाशील था तथा आरए को विलंबित कार्य को निपटाने को कहा गया था।

डीजीएफटी का उत्तर केवल 2017 से दावों के विलंबन की निगरानी से संबंधित था और आरए के योजना कार्यान्वयन तथा समग्र निष्पादन की निगरानी पर मौन था।

3.11 योजनाओं का मूल्यांकन

एमईआईएस/एसईआईएस योजनाएं, सरकार के निहितार्थ महत्वपूर्ण राजस्व छुट के साथ एफटीपी 2015-20 के अंतर्गत मुख्य व्यापार सुगम योजनाएं हैं। योजना के आवधिक मूल्यांकन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि योजना के उद्देश्य पूरे हो गये हैं और किसी त्रुटि के मामले में मध्य अवधि सुधार भी कर दिया जाए।

यह अवलोकन किया गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में योजना का निष्पादन डीजीएफटी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था (फरवरी 2019)।

लेखापरीक्षा ने जानकारी प्राप्त (जनवरी 2019) कि क्या एमईआईएस और एसईआईएस योजनाओं हेतु कोई विशेष लक्ष्य/ध्येय निर्धारित किये गये थे और यदि निर्धारित किये गये थे तो क्या उनका मूल्यांकन किया गया था। डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2019) कि संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले से ही किये गये निर्यात पर आधारित प्रोत्साहन प्रदान किये और वे निर्यात प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, निर्यात वृद्धि बहुल-कारक मामला था और यह केवल एमईआईएस पर निर्भर नहीं था। डीजीएफटी ने कहा कि निर्यात अंतर्राष्ट्रीय कारकों जैसे वैश्विक मांग, मुंद्रा अस्थिरता, निर्यात के मौसमीपन की भिन्नता पर आधारित थे और इस प्रकार, कोई कारण-प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया। एमईआईएस लाभ हेतु एक बार शामिल किये गये उत्पाद स्थायी व्यवस्था हेतु एक निश्चित अवधि तक शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा योजनाओं पर एक अध्ययन, प्रगति पर है और अन्य कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात वृद्धि बहुल-कारक मामला है और केवल व्यापार सुविधा योजना पर आधारित नहीं थी। इसके साथ-साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि ऐसी मुख्य योजनाएं (₹ 25,000 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व छूट के आंकडें के साथ) बिना किसी निष्पादन मैट्रिक्स के कार्यान्वित की जा रही हैं।

वाणिज्य विभाग द्वारा किये गये एफटीपी के मध्य-अवधि समीक्षा, सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर मौन थी। एसईआईएस में जोडी गई नई विशेषताएं जैसे प्रोत्साहन विस्तार 'भारतीय सेवा निर्यातक' के सापेक्ष 'भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं' सभी के लिए; सेवा के स्वरूप मोड-1 और मोड-2 के रिवार्ड पर प्रतिबंध, का मूल्यांकन नही किया और नहीं टिप्पणी की गई थी। ड्यूटी छुट, -क्षेत्रवार सेवाओं और सेवा निर्यात में क्षेत्रीय वृद्धि पर इसके प्रभाव की कोई आवधिक समीक्षा नहीं थी। एसएफआईएस के पूर्व संस्करण से एसईआईएस के विचलन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भारत में स्थित विदेश सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किये गये रिवार्ड और भारतीय सेवा निर्यातकों द्वारा प्राप्त किये गये रिवार्ड पर मध्य-अवधि समीक्षा मौन थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि नीति आयोग ने एमईआईएस योजना की समीक्षा की तथा एसईआईएस के लिए निगरानी समिति बैठकों में नियमित रूप से राजस्व छुट की निगरानी की गई थी।

सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव के गैर-मूल्यांकन और डीजीएफटी द्वारा योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा में इसके पहले के एसएफआईएस संस्करण की तुलना में एसईआईएस में लाये गये प्रावधानों के प्रभाव के बारे में उत्तर मौन था।

3.12 शिकायत निवारण तंत्र

एमईआईएस और एसईआईएस के लिए आवेदकों की शिकायत के निवारण के लिए उपलब्ध प्रावधान/मोडस् की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। यह देखा गया था कि आनलाईन मोड्यूल में एमईआईएस और एसईआईएस के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। लेखापरीक्षा जांच में, डीजीएफटी ने सूचित किया कि आवेदक (i) ई-मेल (ii) केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल और (iii) Contact@DGFT द्वारा शिकायत का निवारण करा सकते हैं। हालांकि पहले दो, सरकार में सामान्य शिकायत निवारण तंत्र थे, Contact@DGFT सर्विस सभी विदेश व्यापार संबंधी मामलों के लिए सिंगल प्वाईंट कॉन्टैक्ट के रूप में 6 सिंतबर 2017 को लागू की गई थी। आयातक/निर्यातक या तो प्रत्यक्ष रूप से डीजीएफटी (मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा विदेश व्यापार संबंधित मामलों का हल निर्दिष्ट ईमेल या टॉल फ्री नंबर का से प्रयोग करके करा सकता था।

यह देखा गया था कि एमईआईएस और एसईआईएस के संबंध में वित्तीय वर्ष 16 से वित्तीय वर्ष 17 की अवधि के दौरान कुल सुलझायी गई शिकायतों और शिकायतों के मामलों की कुल संख्या के संबंध में विवरण डीजीएफटी द्वारा अनुरक्षित नहीं किये गये थे। वित्तीय वर्ष 18 के लिए केवल Contact@DGFT के संबंध में विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5: शिकायत निवारण

	प्राप्त शिकायतों के मामलों की कुल संख्या	5 दिनों में सुलझाये गये मामले	मार्च 2018 तक लंबित मामलों की संख्या
एमईआईएस/एसईआईएस-अध्याय. 3	868	815	53
एमईआईएस आवेदन-ईडीआई	3189	3023	166
एसईआईएस आवेदन-ईडीआई	182	133	49

लेखापरीक्षा द्वारा Contact@DGFT के अंतर्गत मामलों के लंबित होने के कारणों को अभी तक भी प्रस्तुत नहीं (जनवरी 2019) किया गया। Contact@DGFT की अपेक्षा अन्य माध्यमों द्वारा शिकायतों के विवरण तथा उन शिकायतों की स्थिति भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सभी प्रासंगिक रिकार्ड/डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थी कि क्या निर्यातकों की शिकायत समय पर उचित ढंग से सुलझाई गई थी।

निष्कर्ष

एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने में काफी विलंब मैन्यूल इंटरवेंशन वाले अपूर्ण प्रणाली चालित नियंत्रण के कारण थे। एमईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने के लिए अपेक्षित नियंत्रणों की सीमा के बारे में क्षेत्र स्तर के आरए को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये थे। आरए ने विभिन्न मामलों की जांच की। प्रणाली चालित अनुमोदन तंत्र होने के बावजूद, आरए लेट कट की सटीकता जैसे मामलों की जांच कर रहे थे। आईटी प्रणाली द्वारा अंकगणितीय रूप से सटीक गणना का मैन्यूल सत्यापन आवश्यक था चूंकि प्रणाली को उचित ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया था जैसा कि अध्याय 2 में बताया गया है। ऐसी त्रुटिपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के मद्देनजर, यह समझना कठिन नहीं था कि आरए नियंत्रण क्यों रख रहा था जो कि आईटी प्रणाली द्वारा चालित होने चाहिये थे।

नमूना जांच से एमईआईएस में प्रणालीगत नियंत्रण की असफलता का भी पता चला जिसके कारण रिवार्ड की गलत अनुमति दी गई यद्यपि शिपिंग बिलों में रिवार्ड दावे के आशय की उद्घोषणा नहीं थी/अनुपलब्ध थी, हस्तशिल्प उत्पादों को लागू उच्चतर दरों की अनुमति दी गई और स्क्रिप्स के गलत उपयोग हुआ ।

एसईआईएस विभिन्न आरए द्वारा दावों के प्रसंस्करण में अर्द्ध-स्वचालन और समानता की कमी से ग्रसित थे। निर्यातकों ने गलत वर्गीकृत सेवाओं के मामले में रिवार्ड प्राप्त किये यद्यपि प्राप्त की गई वास्तविक सेवाएं परिशिष्ट 3डी में विनिर्दिष्ट नहीं की गई थीं और सीए प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता रखते हुए 37 मामलों में 7 आरए द्वारा इन सेवाओं के संबंध में ₹ 172.72 करोड़ राशि के लाभ अनुमत किये थे। स्वयं-उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्र एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड की अनुमति के लिए सेवाओं और प्रेषण की योग्यता के बारे में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थे। हालांकि, विभाग रिवार्ड अनुमत करने के लिए इन उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों पर अत्यधिक निर्भर रहा। आरए योग्य (मोड 1 और 2) तथा अयोग्य (मोड 3 और 4) सेवाओं के बीच अंतर करने तथा विभाजित करने तथा अयोग्य सेवाओं के लिए रिवार्ड मना करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में 13 सेवा प्रदाताओं को ₹ 57.52 करोड़ का अधिक रिवार्ड दिया गया। गलत स्वयं उद्घोषणा तथा सीए प्रमाण-पत्रों के कारण 62 मामलों में ₹ 40.47 करोड़ राशि के दावों में त्रुटियां देखी गई थीं। आरए और सिस्टम द्वारा अपूर्ण नियंत्रण के कारण 34 मामलों में ₹ 13.02 करोड़ राशि के अधिक रिवार्ड जारी किये गये, ऐसा देखा गया।

पोर्ट सेवाओं के लिए एसईआईएस प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी जैसे वास्तविक सेवा प्रदाता लाभ कैसे प्राप्त करेगें जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे।

एसईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष आयातित माल के लिए आयात ड्यूटी की छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना (2015 की 16 दिनांक 1 अप्रैल 2015) में विनिर्दिष्ट पोर्ट द्वारा निर्यात प्रभावित करने वाली शर्त एसईआईएस प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

निर्यातकों ने के लिए सॉफ्टैक्स रिटर्न में सेवाओं की अलग-अलग प्रकृति की घोषणा की और उसी निर्यात के लिए एसईआईएस दावे किए। स्क्रिप्स के जारी करने से पहले डीसी कार्यालयों द्वारा इसकी जांच की सकती थी परंतु ऐसा नहीं किया गया।

एसईआईएस संस्वीकृति से पूर्व संवीक्षा के रूप में की जाने वाली जांच के संबंध में आरए को डीजीएफटी द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये थे और आरए या डीसी

कार्यालयों में एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया में कोई समानता नहीं थी।

एसईजेड इकाईयों के संबंध में काफी अधिक खामियां थी, जो कि पहली बार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत लाई गई थी तथा स्क्रिप्स उचित संवीक्षा के बिना प्रसंस्कृत किये गये थे।

लेखापरीक्षा को डीजीएफटी द्वारा आरए के निष्पादन पर प्रणालीबद्ध निगरानी के प्रमाण नहीं मिले। डीजीएफटी ने कहा कि एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों के प्रसस्करण में विलंब की निगरानी जैस्पर रिपोर्टिंग मोड्यूल द्वारा की गई थी। हालांकि, आरए की योजना कार्यान्वयन और समग्र निष्पादन की कोई निगरानी नहीं की गई थी। योजना का आवधिक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि योजना के उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये और किन्हीं खामियों के मामले में मध्य-अवधि सुधार भी किये गये थे। एफटीपी की वाणिज्य विभाग द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा सेवा क्षेत्र निर्यात पर एसईआईएस के प्रभाव पर मौन थी। डीजीएफटी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में योजना के निष्पादन का आकलन नहीं किया गया था।

यह प्रमाणित करने का कोई अभिलेख नहीं मिला कि एसईआईएस/एसईआईएस के ऑनलाईन मोड्यूल में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र था और कि एमईआईएस/एसईआईएस शिकायतों का कोई विलंबन विश्लेषण अभी तक डीजीएफटी द्वारा किया गया था।

<u>सिफारिशें</u>

हम सिफारिश करते हैं कि

4. अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये अधिक प्रोत्साहन की अनुमति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष वर्तमान मैन्यूल सत्यापन के मद्देनजर यादरेच्छिक सैंपलिंग का उपयोग करते हुए नमूनाकृत मामलों पर की गई नमूना जांच पर आधारित थे। यह संभावना है कि अन्य मामलों में ऐसी भूल और चूक जैसी त्रुटियां हो सकती हैं। विभाग अध्याय 3 में रिपोर्ट किये गये लेखापरीक्षा परिणामों के अनुसार भी शेष संव्यवहारों की जाचं कर सकता है।

5. हैंडलूम श्रेणी के अंतर्गत पॉवरलूम उत्पादों के गलत-वर्गीकरण की आशंका से बचने के लिए, पावरलूम और हैंडलूम प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्टत: निर्दिष्ट किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि माल के वर्गीकरण को सीमा शुल्क पोर्ट पर जांच किये जाने की आवश्यकता थी। ऑनलाईन प्रणाली केवल एचएस कोड की पहचान कर सकता है और किसी मद के गलत वर्गीकरण की व्याख्या हेतु मद विवरण को नहीं पढ़ा जा सकता। आरए को जहां भी आवश्यकता हो, वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए सूचित किया जायेगा।

6. योग्य सेवाओं पर अस्पष्टता से बचने के लिए और अधिक स्पष्टता लाने के लिए, डीजीएफटी केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड और मोड, जिसके अंतर्गत यह आते हैं; योग्य सेवा की सूची की केवल क्रम संख्या बताने की अपेक्षा, सेवा के उचित वर्गीकरण के लिए सीए प्रमाण-पत्र पर विचार कर सकते हैं। उन आवेदक की उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर योजना लाभ और दंडात्मक प्रावधानों के लिए उपलब्ध कोड और मोड के संबंध में उचित स्पष्टता प्रणाली में लाई जा सकती है। सीए का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनके स्तर पर विफल होने पर उपयुक्त प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी, ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस जारी रहा तो, इसे अगले एफटीपी में लागू किया जाऐगा। कुछ मामलों में, जहां भी सीए गलत- वर्गीकरण के आधार पर गलत-घोषणा/प्रमाण देते पाये गये क्षेत्रीय प्राधिकरण हैं उन्हें विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम,1992 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

किसी ऐसी योजना जहां सीए प्रमाण-पत्रों पर निर्भरता है, वहीं इस सिफारिश पर विचार किया जा सकता है ।

7. डीजीएफटी एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने से पहले अपेक्षित आधारभूत नियंत्रण के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। आवेदक की उद्घोषणाओं और सीए प्रमाण-पत्रों में पाई गई कमियों पर दंडात्मक प्रावधान लागू करना अनिवार्य किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस जारी रहता है तो अगले एफटीपी में इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की जांच की जाएगी।किसी ऐसी योजना जहां सीए प्रमाणपत्रों पर निर्भरता है, वहीं इस सिफारिश पर विचार किया जा सकता है।

8. डीजीएफटी को चार प्रकार की सेवाओं के विभाजन पर नीति तथा प्रकियाओं में स्पष्टता लानी चाहिए। सेवाओं के वर्गीकरण पर आवेदक के उद्घोषणा और सीए प्रमाण-पत्रों को सेवाओं के अंतर को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जानी चाहिए।

सिफारिश को स्वीकार करते हुए डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एएनएफ 3 बी, एक प्रविष्टि जोड़ने के लिए संशोधित किया जाएगा जिसमें सीए प्रमाणित कर सकेगा कि एसईआईएस के तहत दावा की जाने वाली सेवाएं मोड 1 और मोड 2 के तहत विशेष रूप से सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए दावा की जाएंगी।

9. डीजीएफटी पोर्ट सेवाओं के संबंध में तंत्र तैयार कर सकता है ताकि वास्तविक सेवा प्रदाताओं के रिवार्ड अनुमत करने के प्रयोजन को सेवाओं के संयोजकों के दावों के सापेक्ष सुरक्षित हो और सीमा शुल्क अधिसूचना में छूट की शर्तें एसईआईएस योजना के प्रावधानों के साथ समक्रमिक की जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सेवा पोर्ट पर प्राप्त की गई थी परंतु क्योंकि यह विदेशी यात्री-पोत के लिए थी, यह श्रेणी मोड 2 में आएगी और ऐसी सेवाओं हेतु रूपये भुगतान रिवार्ड के लिए योग्य थे।

उत्तर, सिफारिश के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामले से संबंधित नहीं था जो कि सेवा प्रदाताओं और संयोजकों के कारण रिवार्ड के बीच अंतर रखने के लिए तंत्र के बारे में थी।

10. विभिन्न एजेंसियों (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण, जो कि सीपीसी कोड पर आधारित है; किसी दुरूपयोग से बचने के लिए यूएनएसडी के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकृत (सीपीसी) कोड के साथ संरेखित किये जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश को स्वीकार करते हुए, डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि यदि एसईआईएस लागू रहता है तो जीएसटी एसएसी कोड के साथ संरेखित करके इसे अगले एफटीपी में लागू किया जायेगा।

11. एक तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया जाना चाहिए कि समान निर्यात हेतु विभिन्न प्राधिकरण (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) को सेवा प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट करते हुए सेवा के वर्गीकरण की वैधता की पुष्टि, क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त करता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि बहुल संगठन जोकि सेवा की समान प्रकार हेतु अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग करते हैं, से सेवाओं की रिपोर्टिंग का सत्यापन योजना को गैर-कार्यान्वयन योग्य बना देगा। लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग प्रारूप के संदर्भ में नहीं थी परन्तु विभिन्न एजेसियों को रिपोर्ट किये गये वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र से संबंधित थी। विभाग को विभिन्न एजेंसियों को समान सेवाओं की रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए आसान तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में इंगित किये गये मामले एसईजेड से संबंधित है जहां पर क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त एसईआईएस अनुमत करने के लिए प्राधिकारी थे और एसईजेड का प्रशासनिक नियंत्रण भी रखते थे है। इस प्रकार, समान सेवाओं हेतु विभिन्न वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की नमूना जांच के आधार पर कम से कम एक जांच की जा सकती है।

12. आरए को सॉफ्टैक्स फॉर्म पर जोर देना चाहिए जो डेटा लिंक्स द्वारा सेवाओं की आपूर्ति विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) नियामक 2000 के अंतर्गत एक अनिवार्य उद्घोषणा थी, उन मामलों में जहॉ मोड-1 श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं वर्गीकृत/उद्घोषित की गई थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि सॉफ्टैक्स फार्म की आवश्यकता के परामर्श पर विचार किया जाएगा, हालांकि, यह योजना हेतु दस्तावेज आवश्यकताओं को बढ़ा देगा और यह एक अंतर्वेधी उपाय होगा, क्योंकि आरबीआई से भी सॉफ्टैक्स की पुष्टि करने की गुंजाईश हो सकती है।

सॉफ्टैक्स, डेटा लिंक के माध्यम से प्राप्त की गई मोड 1 प्रकार की सेवाओं में विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के अंतर्गत पहले ही अनिवार्य की गई है। इन फार्म को एक्सेस देने की आरए की सिफारिश सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं में मोड-1 सेवाओं के लिए अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करेगा जो एसईजेड और एसटीपीई इकाईयों द्वारा पहले ही अपनाया जा रहा है।

13. व्यापार आसान करने के लिए, हमने सिफारिश की कि डीजीएफटी शिकायत निवारण के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली पर विचार कर सकती है। योजना को सुधारने के लिए उक्त के विश्लेषण को फीडबैक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मानदंडों जैसे दावों के प्रसंस्करण में लिया गया समय, आरएमएस संवीक्षा आदि, पर योजना कार्यान्वयन में आरए के निष्पादन के आकंलन के लिए योजना की निगरानी की जा सकती थी।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि एमईआईएस/एसईआईएस योजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बैकबोन का पुनजीर्वित करना प्रक्रियाधीन था और कुछ मामलों जैसे दावों के प्रसंस्करण में लिया गया समय, आरएमएस आदि को निपटाने के लिए निगरानी डेशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने सूचित किया कि डीजीएफटी मुख्यालय में जैस्पर प्रणाली द्वारा वर्तमान में एमईआईएस और एसईआईएस दावों के लंबन की निगरानी की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ऐसे पुन: अभियांत्रिकीपूर्ण सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म लाने के डीजीएफटी के प्रयास की सराहना करती है हालांकि अंतर्निहित मात्रात्मक मैट्रिक्स, डैशबोर्ड आदि के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर को व्यापक विशेषताओं के साथ विकसित किया जाना चाहिए था ताकि डीजीएफटी द्वारा मौजूदा सभी और आने वाली परिकल्पित योजनाओं के लिए उपयोगी हो सके। ऐसा समाधान लागत प्रभावी नहीं होगा बल्कि सामान्य मानदंडों के प्रति सभी संबंधित योजनाओं के मूल्यांकन/तूलना हेतु आधार भी प्रदान करेगा।

14. हम सिफारिश करते है कि डीजीएफटी योजना के मुख्य उद्देश्यों को प्रस्तुत करने वाली ऐसी किसी भी योजना की उपलब्धियों के मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन आरंभ करने पर विचार कर सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (मार्च 2020) कि चूंकि एफटीपी 2015-20 का 31 मार्च 2020 से बंद होना अपेक्षित था, इसका मध्यावधि मूल्यांकन शायद संभव नहीं होगा।

लेखापरीक्षा की सिफारिशें सामान्य थीं क्योंकि योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता था कि इनके इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा था और किन्हीं भी कमियों के मामले में मध्यवार सुधार किया जा सकता था।

नई दिल्ली **(संदीप लाल)**
दिनांक: 13 जुलाई 2020 **महानिदेशक (सीमा शुल्क)**

अधोहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 15 जुलाई 2020 **(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)**